

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

5, हार्डिंग रोड, पटना-800001

(वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अंतर्गत सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-30.09.2025

विज्ञापन संख्या-04/2025

बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अंतर्गत सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों(JCO/NCO) की रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र०	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
1.	सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO), Assistant Superintendent, Ex-Servicemen (JCO/NCO)	वेतन स्तर-5	25 (पच्चीस)

इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या-04/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक-31.08.2025 से प्रारंभ होगी।

- उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) में सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान- (i) बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-14/2025, 13680/सा0प्र0, दिनांक-25.07.2025 द्वारा प्राप्त अध्याचना (ii) बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के पत्रांक-कारा/स्था0(अरा0)-01-07/2014/4866 दिनांक-02.07.2025 द्वारा प्राप्त अध्याचना एवं अधिसूचना संख्या-5742 दिनांक-04.07.2019 (बिहार सहायक अधीक्षक संवर्ग नियमावली, 2019) (iii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-963, दिनांक-20 जनवरी, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016

(महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में) (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 (बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होने के संबंध में) (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-13185, दिनांक-03 सितम्बर, 2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-10/2015-सा0प्र0-2526, दिनांक-18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के संबंध में) (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 (viii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्र संख्या-6168, दिनांक-31 मार्च 2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्र संख्या-12123, दिनांक-23 जून 2023 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

4. आवेदन के लिए पात्रता:-

4.1 **वैसे भारतीय नागरिक (भूतपूर्व सैनिक) जो भारतीय सेना के जुनियर कमिशनड ऑफिसर/नॉन कमिशनड ऑफिसर (JCO/NCO) से सेवानिवृत्त हुये हो, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं।**

(i) भूतपूर्व सैनिक शब्द से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना या वायु सेना में (चाहे काम्बेटेंट या नन काम्बेटेंट के रूप में) किसी भी रैंक में सेवा की हो परन्तु इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स लोक सहायक तथा अर्द्धसैनिक बलों में सेवा की हो और-

(क) जो सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर चुके हैं या,

(ख) जो मिलिट्री सेवा के लिए लागू स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त किया जा चुका है और उसे चिकित्सा अथवा अशक्तता पेंशन प्रदान की जा चुकी है, या

(ग) जिन्हें सेवा कम किये जाने के फलस्वरूप ऐसी सेवाओं से अपने अनुरोध से अन्यथा मुक्त कर दिया गया है,

(ii) सेना के सेवानिवृत्त जुनियर कमिशनड ऑफिसर/नॉन कमिशनड ऑफिसर में से नियुक्ति की जायेगी।

(iii) सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद हेतु विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारी, इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(iv) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पूर्व सैनिकों के (केन्द्रीय सिविल सेवा में तथा पदों की) पुनः नौकरी नियम, 1979 के प्रावधानों के तहत ही नियुक्ति संबंधी दावे की अनुमान्यता होगी।

4.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:- सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद पर नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हैं तथा 15 वर्ष तक लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुके हैं, इस पद पर नियुक्ति हेतु योग्य समझे जायेंगे, यदि उन्हें इस हेतु सेना से स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

4.3 उम्र सीमा की गणना:- सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक- 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी।

(i) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया:- सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा का स्तर एवं मानदंड निम्नवत होगा:-

(अ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:- आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा-प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

(i) प्रथम चरण:- प्रारम्भिक परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 (बीस) गुणा सफल अभ्यर्थियों का मुख्य लिखित परीक्षा हेतु चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जायेगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

(ii) द्वितीय चरण:- मुख्य परीक्षा- प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे।

- (क) **प्रथम प्रश्न-पत्र:-** प्रथम प्रश्न-पत्र 200 अंकों का सामान्य हिन्दी का 2 (दो) घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्तांक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ख) **द्वितीय प्रश्न-पत्र:-** द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी।
- (iii) दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा। उत्तर-पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- (ब) **प्रमाण पत्रों की जाँच-** मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 (छः) गुणा मेधावार एवं आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा।

6. **मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा:-**

- (i) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बराबर तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म-तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म-तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे।
- (ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथोल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (iii) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 36.5 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40 प्रतिशत होगा।

(iv) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित 'नियुक्ति प्राधिकार' को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी।

7. **रिक्ति:-** अध्याचना के अनुसार बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अंतर्गत सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	पदनाम	सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO)		
	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित (2 प्रतिशत) कुल पदों की संख्या
1	अनारक्षित (01)	09	03	01
2	अनुसूचित जाति (02)	06	02	
3	अनुसूचित जनजाति (03)	01	शून्य	
4	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	03	01	
5	पिछड़ा वर्ग (05)	02	शून्य	
6	पिछड़े वर्गों की महिला (06)	02	शून्य	
7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	02	शून्य	
योग		25	06	01

8. **आरक्षण:-**

- (i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(ii) **महिलाओं के लिए प्रावधान:-**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद, प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य किया गया है।

परंतु, यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की

दशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

परंतु, यह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

(iii) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए प्रावधान:-**

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iv) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 की आय एवं परिसम्पत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण-पत्र अनुमान्य होगा।

(v) आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि/श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(vi) बिहार सरकार, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) की अधिसूचना संख्या-5742 दिनांक-04.07.2019 कंडिका 4 के अनुसार सहायक अधीक्षक की नियुक्ति में दिव्यांगों को यह पद अनुमान्य नहीं है।

9. **कट ऑफ तिथि:-** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव के लिए कट-ऑफ तिथि-01.08.2025 निर्धारित की जाती है परंतु विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारी, इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

10. **नियुक्ति प्राधिकार:-**

अध्याचना के अनुसार सहायक अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिकों (JCO/NCO) के पद हेतु “नियुक्ति प्राधिकार” महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

11. **चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-**

(i) आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात् विहित प्रावधान के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण संचालित किया जायेगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य

होगा। चिकित्सकीय परीक्षण का मूल्यांकन बिहार सहायक अधीक्षक संवर्ग यिमावली, 2019 के परिशिष्ट 'क' में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के स्वस्थ होने पर ही नियुक्ति की जायेगी।

- (ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनिवार्यता होगी तथा वे शारीरिक योग्यता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
- (iii) सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथा विहित नियम के अनुसार कराया जायेगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

12. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट-<https://bpssc.bihar.gov.in> पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन करने/आवेदन-पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन-पत्र के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

- 13. सभी कोटि/वर्ग के पुरुष/महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 100/- (एक सौ) रुपये है।
- 14. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking)/UPI के ट्रान्जेक्शन (Transaction) ही अनुमान्य होंगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य Payment Mode मान्य नहीं होगा।

15. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट <https://bpssc.bihar.gov.in> पर जाकर Advt. No.- 04/2025 से

संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

- (iii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** यदि आपकी अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी।
- (iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी।
- (vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजा जायेगा।
- (vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
- (viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी

जन्म-तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। **प्रमाण-पत्रों** से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(x) *आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।*

(xi) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- <https://state.bihar.gov.in>gad> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

(xii) **ऑनलाइन आवेदन पत्र:-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र दो भागों में भरा जायेगा-

(क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी0, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म-तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा है।

पंजीकरण रद्दीकरण- यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग** में वांछित सूचनाएँ यथा-पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, jpg/jpeg/gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही) से अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/jpeg/gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक

ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details” के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(घ) गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया:- यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

16. महत्वपूर्ण निर्देश:-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

17. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन अथवा सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. उम्मीदवारी रद्दीकरण- आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

(i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।

- (ii) आवेदक द्वारा मान्य फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।
 - (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना।
 - (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
 - (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
 - (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
 - (vii) आवेदन में जन्म-तिथि गलत अंकित करना।
 - (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
 - (ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे- विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
 - (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
 - (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/समर्पित न करना, जैसे-
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
 - (ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
 - (xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
 - (xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
 - (xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना।
 - (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।
19. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती हैं। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई-मेल आईडी सक्रिय/जारी रखें।

20. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 06 माह का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा-पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि-भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा-01-07/2024-725

दिनांक-28.08.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना।

- प्रतिलिपि:-
1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया।
 2. **प्रधान सचिव,** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया
 3. **महानिरीक्षक,** कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

ह0/-

अध्यक्ष,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।